न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 806/दावा/2018
दायरा 18.07.2018

उनवान

1. जोधराज पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी गाडरवाडाडूण्डी तह0 खानपुर
2. परमानन्द पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी गाडरवाडाडूण्डी तह0 खानपुर
3. राजेंद्रकुमार पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी गाडरवाडाडूण्डी तह0 खानपुर

– वादीगण

बनाम्

1. मोहन पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी गाडरवाडाडूण्डी तह0 खानपुर
2. गायत्रीबाई पुत्री मोहन पत्नि रामेश्वर जाति धाकड निवासी जगदीशपुरा(सोजपुर) तह0 खानपुर
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, राजस्थान बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश धनौलिया एडवोकेट –वादी
श्रीमती किरण मेहता एडवोकेट – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 8/08/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक याद धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गाडरवाडाडूण्डी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतोनी सं0 132 की 11 किता की 71.00 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रति0नं0 2 के पिता प्रति0नं0 1 मोहन पुत्र मांगीलाल के खाते एवं कब्जे काश्त की है। यह आराजी हमारे दादा व प्रति0नं0 1 के पिता मांगीलाल की मृत्यु के बाद प्रति0नं0 1 के खाते आयी है। इस प्रकार यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस आराजी में हमारा जन्म से हक एवं अधिकार होने से वादीगण खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं। प्रति0नं0 2 वादी की पुत्री गायत्रीबाई है, जिन्होंने विरासत में मिलने वाली आराजी का हक त्याग वादीगण एवं प्रति0नं0 1 के पक्ष में कर दिया है। इस प्रकार इस आराजी में वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रति0नं0 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। वादीगण पढे लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं और प्रति0नं0 1 वादीगण को कोई आर्थिक मदद नही कर रहे हैं। वादीगण को अपने परिवार के पालन पोषण के लिये रूपयों की आवश्यकता है। प्रति0नं0 1 हमारी व परिवार की परवरिश पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वादीगण द्वारा दि0 15.6.18 को प्रति0नं0 1 से आराजी खाते दर्ज कराने की कहने एवं उनके द्वारा मना करने से यही वाद कारण रहा है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 3/4 हिस्सा एवं प्रति0नं0 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 3, 4 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। वही

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी 1, 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया " यह कि आराजी खतौनी सं0 नई 132 ख0नं0 9/602 की 9.13 बीघा, ख0नं0 22 की 6.18 बीघा, ख0नं0 41/603 की 19.10 बीघा, ख0नं0 48/604 की 11.10 बीघा, ख0नं0 398 की 6.00 बीघा, ख0नं0 398/606 की 7.02 बीघा, ख0नं0 400/608 की 3.05 बीघा, ख0नं0 453/609 की 0.08 बीघा, ख0नं0 454 की 2.05 बीघा, ख0नं0 458/610 की 3.11 बीघा, ख0नं0 459/611 की 1.08 बीघा, कुल खसरा 11 की 71.10 बीघा आराजी गाडरवाडाडूण्डी तहसील खानपुर वादी नं0 1 को 1/5 हिस्सा का, वादी नं0 2 को 1/5 हिस्सा, वादी नं0 3 को 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 को भी 1/5, 1/5 हिस्सा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रतिवादी मोहन, गायत्रीबाई आराजी में हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारे हिस्से की आराजी हम वादीगण व प्रतिवादीगण हिस्सा है। यह राजीनामा हमने बिना दाब दबाव व व हमारे स्वतंत्र इच्छा से किया है जो सही है। हम पक्षकार राजीनामें से सहमत है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे। " राजीनामा से सभी पक्षकारान सहमत होने से इसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपने बयान दर्ज कराये तथा नकल जमाबंदी सं0 2073–76 ग्राम गाडरवाडाडूण्डी प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम गाडरवाडाडूण्डी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतोनी सं0 132 की 11 किता की 71.00 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जो पुश्तैनी सम्पत्ति है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार इसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है। ऐसे में वाद का निर्णय राजीनामें के अनुसार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने राजीनामा पेश किया है। ऐसे में वाद का निर्णय राजीनामा के अनुसार किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ग्राम गाडरवाड़ाडूण्डी की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतोनी सं0 132 की 11 किता की 71.00 बीघा आराजी में वादीगण 1 लगा0 3 को हिस्सा 3/5 में बांट बराबर से एवं प्रति0नं0 1 को हिस्सा 1/5, प्रति0नं0 2 को हिस्सा 1/5 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 8 /08/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner